

ग्रंथ - श्रीगार्दीवी आदि मु. नं. 70/2006

दिनांक	आज्ञा पत्र
20-4-18	<p>बोर्ड-वार को वाजा दिलाई गई, अपीलार्थ एवं अपीलार्थ के वकील को ई हाजिर नहीं होये। कतः कदम हाजरी एवं कदम परे वरी साखित होने से अपील रवायज की जाती है। पगावली बाद तबतीक तक वकील दारिखल दफ्तर है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p>सत्यमेव जयते</p> <p>सु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी लोकर</p>



Web Copy - Not Official